कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–171012 के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या 1–487/99–फिन(एल0ए0) खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 के दृष्टिगत कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–12 के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 के लेखाओं का अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान मण्डी समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहेः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
अध्यक्ष	जिलाधीश, शिमला	01.04.2013 से 08.07.2013
	श्री महिन्द्र स्तान	09.07.2013 से 31.03.2014
सचिव	श्री अनिल चौहान	01.04.2013 से 09.12.2013
	श्री बी0 आर0 गर्ग	13.12.2013 से 31.03.2014

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–12 के अवधि 01.04.13 से 31.03.14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	विवरण	पैरा संख्या	रूपये (लाखों में)
1	अग्रिम का समायोजन न करना	6	11.47
2	दुकानों के किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	7	36.43
3	लाईसैन्सधारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना	8	विवरण पैरे में दिया गया है
4	मण्डी शुल्क की वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में भी हानि होने के बारे में	9	विवरण पैरे में दिया गया है
5	लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम वसूली किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि होने के बारे में	10	0.81

6	विभिन्न व्यापारियों द्वारा ओ फार्म न भरने के फलस्वरूप मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की सम्भावित हानि का होना	11	विवरण पैरे में दिया गया है
7	विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क देय तिथि पर वसूलने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से वसूलने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की सम्भावित हानि का होना	12	विवरण पैरे में दिया गया है
8	नाका चौकी शोघी, नेरीपुल कुडडु, तथा वानीपुल में गैर लाईसैंस धारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानि का होना	13	0.91
9	कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली, शिमला में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या का सन्तोषजनक न पाया जाना	14	विवरण पैरे में दिया गया है
10	कम्पाऊंड शुल्क की वसूली करते हुए रसीद बुकों में वस्तु का नाम, प्रमात्रा व मूल्य का न दर्शाया जाना	15	5.20
11	नाकाचौकियों से प्रााप्त आय की राशि से बैंक में कम राशि का जमा करवाना	17	0.37
12	आय के अनाद्रित चैकों की राशि की वसूली न करना	20	1.62
13	रोकड वही में आय की प्रविष्टियॉ न करना	21(क)	2.62
14	विभिन्न प्रकार के खर्चो हेतु बैंक से निकाली गई राशि का रोकड़ बहीं में ईन्द्राज न करना	21(ख)	0.35
15	बैंक खाता संख्या 12087 व खाता संख्या 558 में क्रेडिट की गई चैकों/नकदी की गई राशि की पुष्टि न होना	22	6.40
16	बैंक द्वारा सावधि जमा पर देय व्याज से कम व्याज देने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को हानि का होना	26	1.50
17	सावधि जमा योजना में निवेशित की गई राशि का सावधि जमा रजिस्टर में ईन्द्राज न करना	28	1917.03
18	श्री एस आर कश्यप विपणम अधिकारी को दी गई अग्रिम का समायोजन न करने बारे	31	0.39

(ग) आय व व्यय के स्त्रोत के बारे में

(1) मण्डी समिति की आय के मुख्य स्त्रोत निम्न प्रकार से है :–

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत गैर व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 40(3) के अर्न्तगत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(iii) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय तथा मण्डी समिति द्वारा स्थापित धर्मकांटे पर तुलाई शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(iv) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय।

(v) मण्डी समिति, ढली एवम फल मण्डी भटठा कुफर के मुख्य द्वार के प्रवेश पर ट्रकों व अन्य वाहनों से प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(vi) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मों के विक्रय से प्राप्त आय।

(vii) अन्य आय।

(2) मण्डी समिति द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जाता हैः–

(i) मानदेय, वेतन, मजदूरी तथा अन्य विभिन्न भत्तों पर व्यय तथा कार्यालय व्यय।

(ii) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा/दैनिक भत्ते आदि पर व्यय।

(iii) मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(iv) डिपोज़िट कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों व रज्जू मार्ग के निर्माण में संलिप्त व्यय।

(v) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय।

(vi) हिमाचल प्रदेश सरकार को अंकेक्षण सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के एवज़ में देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय।

(vii) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय।

(viii) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औधानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 49(3) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में सलिप्त व्यय।

(ix) कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(x) अन्य व्यय।

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों/अधियाचनाओं का सार भाग 3 व 4 में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

(क) कृषि उपज समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण श्रीमति मीरा गौतम, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री श्रवण कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वांकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए हैं।

(ख) मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर ढली, शिमला–12 द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये हैं:–

(**i**) उप मण्डी नेरवा में वर्ष 2005–06 में आबंटित की गई दुकानों से प्राप्त प्रतिभूति राशि का रजिस्टर

(**ii**) चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर

(**iii**) ब्याज खाता रजिस्टर

(**iv**) प्रगतिशील कार्य रजिस्टर

(**v**) मण्डी समिति की वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति

(**vi**) समस्त बैकों की माहवार बैंक समाधान विवरणिकाऐं

(**vii**) धारी व्यापारियों की मण्डी शुल्क से सम्बधित संचिकायें वर्ष 2013–14 में 620 लाईसैंस धारी व्यापारियों में से 104 लाईसैंस

(**viii**) वाहन संख्या एच0 पी0 52ए–0511 की लॉग बुक

(**ix**) व्यापारियों की संचिकांए वर्ष 2013–14 में उपसमिति कोटी, नेरवा व नारकण्डा के लाईसैंस धारी

3 लेखा परीक्षा शुल्क

वर्ष 2013–14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹15,02,298 आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि, कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय द्वारा चैक संख्या 006557 दिनांक 26.09.2014 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–09 के मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

4 वार्षिक लेखों, वितीय स्थिति तथा सावधिक जमा योजना में निवेशित राशियों के बारे में
(क) वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखे

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखे मै0 डी0 वी0 चावला एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाऊंटैंट से तैयार करवाए गए हैं तथा उक्त लेखों की सचिव, कृषि उपज मण्डी

समिति शिमला व किन्नौर द्वारा जारी प्रति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा **अनुलग्नक ''ए''** पर संलग्न है। इन लेखों की अंकेक्षण द्वारा विधिवत संविक्षा के उपरान्त पाया गया कि चार्टर्ड अकाऊंटैंट द्वारा तैयार किए गए लेखों की अधिकतर मदों के आंकड़ों में कार्यालय अभिलेख के अनुसार दिनांक 31.03.2014 के शेषों में भिन्नताएं पाई गई हैं। इन लेखों को समीक्षा के उपरान्त इन्हें मण्डी समिति कार्यालय को अंकेक्षण के पत्र संख्या 105 दिनांक 29.04.2015 द्वारा जारी किया गया था, लेकिन मण्डी समिति द्वारा चार्टड अकाऊंटैंट द्वारा तैयार किए इन लेखों के आंकड़ों में भिन्नताओं के संशोधनोपरान्त वार्षिक लेखे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। मण्डी समिति के वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखों पर अंकेक्षण की मदवार विविक्षा टिप्पाणियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा **अनुलग्नक ''बी''** पर संलग्न है।

(ख) मण्डी समिति की वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय से मण्डी समिति की वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण के पत्र संख्या 77 दिनांक 29.04.2014, पत्र संख्या 107 दिनांक 06.06.2014, स्मरण पत्र संख्या 175, दिनांक 08.09.2014 व स्मरण पत्र संख्या 20 दिनॉक 16.01.2015 के अर्न्तगत अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, ताकि इसे सत्यापनोंपरान्त तदानुसार रिपोर्ट में समाविष्ट किया जा सके, परन्तु मण्डी समिति द्वारा वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई, जिस कारण उक्त वित्तीय स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं की जा सकी।

(ग) निवेश

मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.03.2014 तक **परिशिष्ट ''क''** के अनुसार **₹**37,59,50,647/– विभिन्न बैंकों में सावधिक जमा योजना के अर्न्तगत निवेशित की गई है।

5 सहायता अनुदान

अंकेक्षण द्वारा पत्र संख्या 77, दिनांक 29.04.2014, पत्र संख्या 107 दिनांक 06.06.2014, स्मरण पत्र संख्या 175, दिनांक 08.09.2014 तथा स्मरण पत्र संख्या 20 दिनॉक 16.01.2015 के अर्न्तगत मण्डी समिति कार्यालय से सहायता अनुदान के सन्दर्भ में अपेक्षित सूचनाऐं अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा उनके पत्र संख्याः ए0पी0एम0सी0/एस0एम0एल– 1–14–खण्ड–8–3182 दिनांक 18.02.2015 द्वारा यह सूचित किया है कि इस वितीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त नही हुआ है।

6 अग्रिम ₹11,47,746 का समायोजन न करना

(क) मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा कर्मचारियों को कार्यालय के विभिन्न उदेश्यों हेतु निम्नलिखित

अग्रिम राशियां प्रदान की गई थी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति तक इन अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया गया है। अतः इन समस्त अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्रातिशीघ्र करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

असमायोजित अस्थाई अग्रिमों का दिनॉक 31.3.2014 तक का विवरणः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	अग्रिम बिल सं0	दिनांक	राशि
1	श्री शक्त राम कश्यप	337	2.02.2001	35000
		57	4.05.2001	4000
2	श्री हेम राज ठाकुर	357	17.03.2009	1000
		165	23.07.2012	100000
3.	श्री तेज राम कश्यप	258	20.11.2010	100000
		65	09.06.2010	10000
4.	प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम शिमला	409	13.12.2012	149301
		623	24.03.2014	10900
5.	प्रबन्धक निदेशक, हि0 प्र0 राज्य विपणन बोर्ड, खलीनी, शिमला–2	333	17.10.2013	728145
6.	श्री मनोहर लाल शाक्या, कनिष्ठ सहायक	153	08.07.2013	6400
7.	श्रीमति अरूणा कौशल, कनिष्ठ सहायक	621	22.03.2014	3000
			कुल योग	**1147746**

(ख) मण्डी समिति के विभिन्न कर्मचारियों के नाम में असमायोजित अग्रिम राशि के विगत वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार है :–

क्र0 स0	**वर्ष**	**कर्मचारियों के नाम असमायोजित कुल राशि**
1	2002–03	11,10,768
2	2003–04	9,71,986
3	2004–05	9,04,560
4	2005–06	7,37,170
5	2006–07	7,39,670
6	2007–08	2,93,160
7	2008–09	1,31,500
8	2009–10	84,000
9.	2010–11	1,94,000
10.	2011–12	3,52,000
11.	2012–13	4,27,801
12.	2013–14	11,47,746

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अग्रिम राशियों में से कुछ अग्रिम राशियां कई वर्षो से असमायोजित है। अतः समिति के प्राधिकारियों द्वारा इन के समायोजन हेतु ठोस पग उठाए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन का समय पर समायोजन सम्भव हो सके।

7 दुकानों के किराए के रूप में ₹36,43,231 का वसूली हेतु शेष पाया जाना

कृषि उपज मण्डी समिति की दुकानों से सम्बन्धित किराया रजिस्टर व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''ख''** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.03.2014 को किराए की ₹36,43,231 वसूली योग्य शेष थी। अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली के सन्दर्भ में प्रकरण कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय से वर्ष 2000–01 से वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लगातार उठाया जा रहा है, किन्तु इस सन्दर्भ में कुछ विशेष सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई है, जबकि उपरोक्त शेष किराए की वसूली के अतिरिक्त आगामी वर्षों में भी सभी दुकानों के आबंटियो से निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर किराए की वसूली सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। अतः नियमों/अधिनियमों के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत चूककर्त्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई भी की जाए, ताकि मण्डी समिति द्वारा किराये की यथा समय वसूली करने के अतिरिक्त मण्डी समिति को कथित राशियों पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय हो सके।

8 लाईसैन्सधारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना

परिशिष्ट ''ग''(i) में वर्णित व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों द्वारा उनके नाम के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में व्यापार शून्य दर्शाया है, जैसा कि इन व्यापारियों से सम्बधित 'ओ' फार्म के अवलोकन से विदित होता है। इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आशय की पुष्टि नहीं की गई है कि इस अवधि में 'शून्य' दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं अथवा नहीं? उक्त से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण हेतु किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवम पर्यवेक्षण के स्थान पर व्यापारियों द्वारा 'ओ' फार्म में की गई घोषणा के आधार पर ही मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है, जोकि एक उचित प्रक्रिया नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में नीति निर्धारित करके समय रहते वास्तविकता की पुष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए व सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क को जमा करने हेतू टाल–मटोल करने तथा नियमों/विनियमों की उल्लंघना करने की परिस्थिति में प्रावधित व्यवस्था के अनुसार दण्ड शुल्क सहित मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस प्रकार के

सपरीक्षा सुझाव गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल करने के उपरांत भी इन प्रकरणों में आज दिन तक कोई कारवाई/अनुपालना नहीं की गई है, जो स्वतः ही विपणन समिति के हित में नहीं है। अतः यह प्रकरण प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला, 171002 के विशेष ध्यानार्थ उचित कारवाई हेतु लाया जाता है।

9 मण्डी शुल्क की वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में भी हानि होने के बारे में

मण्डी समिति की वर्ष 2013–14 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''ग'' (ii)** में दर्शाये गए मण्डी समिति के लाईसैंस धारक व्यापारियों से उनके नामों के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में कोई मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 45(2) एवं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2005 के नियम 35 के अर्न्तगत सभी लाईसैंस धारकों द्वारा प्रतिदिन क्रय–विक्रय के सम्बन्ध मे ''ओ'' फार्म प्रस्तुत करना तथा 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क अदा करना अनिवार्य है। इन प्रकरणों में मण्डी शुल्क की वसूली समय पर न किए जाने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि के अतिरिक्त कथित राशि पर अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2008–09 व 2009–10 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में कमी आई थी, परन्तु वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 व 2013–14 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई है। अतः इस सन्दर्भ में मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए, जिससे एक ओर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना हो सकेगी वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को समय पर मण्डी शुल्क की वसूली होने से मण्डी शुल्क की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के अतिरिक्त कथित राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में भी अतिरिक्त आय हो सकती है।

10 लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम वसूली किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ₹82150/– की सम्भावित हानि होने के बारे में

मण्डी समिति के व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''ग''(iii)** में दर्शाए गए कुछ व्यापारियों के नामों के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में देय शुल्क से कम मण्डी शुल्क वसूला गया है। इस बारे में अकेंक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनॉक 03.01.2014 व 130 दिनॉक 05.07.2014 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था, परन्तु मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे प्रकरणों में मण्डी शुल्क की ₹82150/– की कम वसूली किए जाने के कारण जहॉ एक ओर मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि हुई है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई

है। अतः ऐसे प्रकरणों को मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता हैं कि लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी समिति अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए, जिससे अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना के साथ–साथ मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की पूर्ण वसूली होने के साथ–साथ उस पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में भी अतिरिक्त आय हो सके।

11 विभिन्न व्यापारियों द्वारा ओ फार्म न भरने के फलस्वरूप मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की सम्भावित हानि का होना

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अनुसार मण्डी समिति के सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा क्रय–विक्रय के सन्दर्भ में प्रतिदिन ओ' फार्म प्रस्तुत करना तथा तदानुसार 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क जमा करवाया जाना अपेक्षित है, किन्तु पंजीकृत व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विगत तेरह वर्षो में ओ' फार्म प्रस्तुत न करने की प्रतिशतता में निरन्तर बढोतरी हो रही है। वर्ष 2005–2006 व 2006–2007 व 2013–2014 में तो यह प्रतिशतता 50% से अधिक थी तथा 2011–2012, 2012–2013 में यह प्रतिशतता लगभग 50% के ही करीब है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि पंजीकृत लाईसैंधारी व्यापारियों द्वारा क्रय व विक्रय के सम्बन्ध में ओ' फार्म प्रस्तुत न करने के कारण जहाँ एक ओर मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की वसूली न होने के कारण अत्याधिक आय की हानि हो रही है, वही मण्डी समिति प्रशासन भी प्रभावशाली नियन्त्रण व पर्यवेक्षण के अभाव में गम्भीर नहीं है। अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवम् विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है। विगत वर्षों के इस प्रकार के प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	वर्ष वार मण्डी समिति के पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों की संख्या	ओ' फार्म प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों की संख्या	ओ' फार्म प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों की वर्ष वार प्रतिशतता
1	2001 –2002	539	64	11.87%
2	2002 –2003	682	135	19.79%
3	2003 –2004	637	165	25.90%
4	2004 –2005	716	262	36.59%
5	2005 –2006	637	331	51.96%
6	2006 –2007	599	314	52.42%
7	2007–2008	511	199	38.94%
8	2008 –2009	478	70	14.64%
9	2009 –2010	504	41	8.13%

10	2010 –2011	630	218	34.60%
11	2011 –2012	623(704–81)	285	45.74%
12	2012 –2013	678	327	48.23%
13	2013–2014	516 (620–104)	343	66.47%

12 विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क देय तिथि पर वसूलने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से वसूलने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की सम्भावित हानि का होना

मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार करने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है और मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा कई –कई महीनों का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करवाया गया है, जैसा कि **परिशिष्ट ''ग''(iv)** व **परिशिष्ट ''ग''(v)** में दिए गए विवरणों से भी स्पष्ट होता है। इन परिशिष्टों से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि कुछ व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली 6 माह से अधिक समय के पश्चात की गई है। इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी से लाखों रुपये कई–कई महीनों तक वसूली योग्य शेष होने के कारण मण्डी समिति को उपरोक्त राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में भी अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रुपयों की अप्रत्याशित हानि हुई है, क्योंकि यदि यथा समय पर मण्डी शुल्क वसूला गया होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी। इस प्रकार की अनियमितताओं के प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ वर्ष 2001–02 से 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अन्तर्गत लगातार लाए जा रहे हैं, किन्तु इस सन्दर्भ में कोई सार्थक परिणाम न होने के कारण यह प्रकरण पुनः मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि मण्डी शुल्क की वसूली समय पर सुनिश्चित की जाए तथा विलम्ब की स्थिति में समस्त संलिप्त मामलों में यथा प्रावधानानुसार दण्ड शुल्क सहित ही मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

13 नाका चौकी शोघी, नेरीपुल कुडड्डु, तथा वानीपुल में गैर लाईसैंस धारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹91160/– की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानि का होना

मण्डी समिति द्वारा स्थापित नाका चौकी शोघी, नेरीपुल, कुडड्डु, तथा वानीपुल की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाका चौकियों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 75 व इस सन्दर्भ में मण्डी समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न करने के परिणामस्वरूप यथा विवरण **परिशिष्ट ''घ''** के अनुसार

कम्पाऊंड शुल्क की क्रमशः ₹60911/–, ₹14472/– ₹12656/–, तथा ₹3121/– अर्थात कुल ₹91,160/– की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को निश्चित तौर पर हानि हुई है, जिसकी भरपाई सम्बन्धित व्यापारियों अथवा उत्तरदायी कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। ऐसे प्रकरण अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2001–02 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों से लेकर वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अर्न्तगत लगाातार मण्डी समिति के ध्यानार्थ लाए जा रहे हैं, लेकिन इस सन्दर्भ में वर्ष 2003–04, 2008–09 तथा वर्ष 2012–13 के दौरान तो कुछ सुधार तो हुआ था परन्तु वर्ष 2006–07, 2009–2010, 2010–11, 2011–12 तथा वर्ष 2013–14 में ऐसे प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हुई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय इस प्रकार की हानि पर अंकुश लगाने तथा मण्डी समिति को हानि से रोकने हेतु गम्भीर नहीं है। अतः यह प्रकरण पुनः मण्डी समिति के उच्चधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

विगत वर्षों में मण्डी समिति को हुई इस प्रकार हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	अवधि जिसमें कम्पाऊंड शुल्क वसूला गया	कम वसूला गया कम्पाऊंड शुल्क
1	01.04.2001 से 31.03.2002	10,21,801
2	01.04.2002 से 31.03.2003	1,33,618
3	01.04.2003 से 31.03.2004	3,186
4	01.04.2004 से 31.03.2005	15,680
5	01.04.2005 से 31.03.2006	21,310
6	01.04.2006 से 31.03.2007	2,65,376
7	01.04.2007 से 31.03.2008	63,278
8	01.04.2008 से 31.03.2009	2,346
9	01.04.2009 से 31.03.2010	51,706
10	01.04.2010 से 31.03.2011	53,963
11	01.04.2011 से 31.03.2012	1,23,241
12.	01.04.2012 से 31.03.2013	14,141
13	01.04.2013 से 31.03.2014	91,160

14 कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली, शिमला में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या का सन्तोषजनक न पाया जाना

कृषि उपज मण्डी समिति शिमला का कार्यक्षेत्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात जिला शिमला व जिला किन्नौर का है, परन्तु इस समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े इन दो जिलों के व्यापारियों की संख्या सन्तोषजनक नहीं है, जैसा कि निम्न तालिका के अवलोकन से भी विदित होता है। इस तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर कार्यालय कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों के पंजीकरण के सन्दर्भ में गम्भीर नहीं है क्योंकि यदि किसी वर्ष मण्डी समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है, तो आगामी वर्ष में इस संख्या में कमी भी आई है, जैसे कि वर्ष 2008–09 में इस संख्या में बाकी वर्षों की तुलना में भारी कमी आई है। अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी लाया जाता रहा है। अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवम् विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि इस सन्दर्भ में सार्थक प्रगति होने के फलस्वरूप मण्डी समिति की आय में बढौतरी सुनिश्चित की जा सके।

क्र0 सं0	अवधि	कृषि उपज से जुड़े उन व्यापारियों की संख्या जो कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर से पंजीकृत हैं
1	मण्डी समिति के अस्तित्व में आने से 31.03.2001 तक	629
2	01.04.2001 से 31.03.2002	539
3	01.04.2002 से 31.03.2003	682
4	01.04.2003 से 31.03.2004	637
5	01.04.2004 से 31.03.2005	716
6	01.04.2005 से 31.03.2006	637
7	01.04.2006 से 31.03.2007	599
8	01.04.2007 से 31.03.2008	511
9	01.04.2008 से 31.03.2009	478
10	01.04.2009 से 31.03.2010	504
11	01.04.2010 से 31.03.2011	630
12	01.04.2011 से 31.03.2012	704
13	01.04.2012 से 31.03.2013	678
14	01.04.2013 से 31.03.2014	620

15 कम्पाऊंड शुल्क की ₹5,20,649 वसूली करते हुए रसीद बुकों में वस्तु का नाम, प्रमात्रा व मूल्य का न दर्शाया जाना

नाकाचौकी शोघी, नेरीपुल व वानीपुल की वर्ष 2013–14 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाकाचौकियों पर गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से यथाविवरण **परिशिष्ट ''ङ''** के अनुसार रसीद बुकों द्वारा जो कम्पाऊंड शुल्क वसूल किया गया है, उन रसीद बुकों में न तो वस्तु की प्रमात्रा

का जिक्र है और न ही वस्तु का मूल्य दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों में तो यह भी नहीं दर्शाया गया है कि कम्पाऊंड शुल्क किस वस्तु पर लिया जा रहा है। इस प्रकार वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क की प्रमाणिकता तथा इसकी वैद्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अनियमितता का उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ नाकाचौकियों में तैनात कर्मचारियों को अपेक्षित दिशानिर्देश देने तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित किए जाने के उद्देशय से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 205 दिनांक 07.10.2013 द्वारा लाया गया था, ताकि ऐसे प्रकरणों पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके। अतः सुझाव दिया जाता है कि नाकाचौकियों में कार्यरत कर्मचारियों को ऐसे प्रकरणों में पूर्ण विवरण देने हेतु दिशा निर्देशक जानी किए जाएं।

16 विभिन्न लाईसैन्स धारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क के चैक स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप बैंक प्रभार के रूप में मण्डी समिति को ₹2924 की हानि का होना

मण्डी समिति के वर्ष 2013–14 की आय से सम्बधित अभिलेख व बैंक खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय, उप समिति नारकंडा, रामपुर, व ठियोग में वर्ष 2013–2014 के दौरान विभिन्न प्रकरणों में लाईसैन्स धारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क के एवज में चैक स्वीकार किए गए, जिन्हें मण्डी समिति द्वारा सम्बधित बैंक खाते में जमा कर दिया गया, परन्तु बैंक द्वारा इन्हें क्रेडिट करते समय बैंक प्रभार के रूप में सम्बधित बैंक खातों में से ₹2864 डेबिट कर दिए गए। इस के अतिरिक्त नाकाचौकी कुडडु से बैंक द्वारा राशि मण्डी समिति मुख्यालय, ढली के बचत खाता संख्या 558 में हस्तांतरण करने के एवज में ₹60 डेबिट कर दिए गए। इन समस्त राशियों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 185 दिनाँक 22.09.2014 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को भी अवगत करवाया गया था। अतः इस सन्दर्भ में हुई कुल ₹2924 की हानि की भरपाई हेतु प्रकरण सम्बधित फर्मो व बैंक से उठाते हुए काटे गए बैंक प्रभार की वसूली सम्बधित फर्मो व बैंक से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को यथा समय अवगत करवाया जाए।

17 नाकाचौकियों से प्राप्त आय की राशि में से ₹37320/– बैंक में कम जमा करवाना

नाकाचौकी शोघी, नेरीपुल, कुडडु व वानीपुल की वर्ष 2013–2014 की रोकङ वही, रसीद बुकों व सम्बधित बैंक खाते की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाकाचौकियों में प्राप्त आय की वास्तविक राशि में से ₹37,320 बैंक में कम जमा करवाई गई जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर दिया गया है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनॉक 03.01.2014 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कई प्रकरण अंकेक्षण द्वारा समय–समय पर जारी अंकेक्षण अधियाचनाओं व पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाए गए थे, परन्तु

फिर भी इस प्रकार के प्रकरण प्रतिवर्ष घटित हो रहे हैं, जोकि मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों द्वारा नाकाचौकियों में प्रभावी नियन्त्रण न किये जाने का परिचायक है। अतः उपरोक्त ₹37320/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए।

18 मण्डी समिति की विभिन्न नाकाचौकियों की आय की रसीदों में पाई गई गम्भीर अनियमिततायें

(क) नाकाचौकी शोघी में ₹35374 की रसीदों को संशयपूर्ण ढंग से रद्द करना

नाकाचौकी शोघी की वर्ष 2013–2014 की आय की जॉच करने पर पाया गया कि इस नाकाचौकी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा सेब व सब्जियों के कम्पाउन्ड शुल्क के रूप में काटी गई रसीदों को बिना किसी कारण दर्शाए अपने ही स्तर पर रदद किया गया है। इन रदद की गई रसीदों को किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया। इस प्रकार की रदद की गई रसीदों का विवरण **परिशिष्ट "ज"** पर दिया गया है। ऐसी अवस्था में रदद की गई रसीदें अपने आप में संशयपूर्ण है।

(ख) नाकाचौकी वानीपुल व नेरीपुल में ₹13687 की छायाप्रति रसीदों में कॉट छॉट करना

नाकाचौकी वानीपुल व नेरीपुल की वर्ष 2013–2014 की आय की जॉच करने पर पाया गया कि इन नाकाचौकियो पर तैनात कर्मचारियों द्वारा मूल रसीदों को जारी करने के उपरान्त अपने ही स्तर पर छायाप्रति रसीदों में वस्तु की प्रमात्रा व राशि में कॉट छॉट की गई है, जिस का विवरण **परिशिष्ट "झ"** पर दिया गया है। इस प्रकार छायाप्रति रसीदों में की गई कॉट छॉट अपने आप में संदेहस्पद होने के साथ–साथ इस की वैद्यता व इस से प्राप्त राशि में अनियमितता की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कम संख्या (क) तथा (ख) में दर्शाए गए प्रकरण के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172 दिनॉक 02.09.2014 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने के उद्देशय से उठाया गया था, परन्तु इन प्रकरणों में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया। अतः इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 मुख्यालय ढली व उपसमिति रामपुर, ठियोग, नारकंडा द्वारा ₹2936 बैंक में कम जमा करवाया जाना

मण्डी समिति के मुख्यालय ढली व उपसमितियों की वर्ष 2013–2014 की रसीद बुकस, रोकड वही व बैंक विवरणियों की जॉच करने पर पाया गया कि निम्न उपसमितियों पर तैनात कर्मचारियों द्वारा प्राप्त आय की वास्तविक राशि के स्थान पर कम राशि बैकों में जमा करवाई गई है, जिस की पुष्टि

सम्बन्धित बैंक खातों की बैंक विवरणियों से की जा चुकी है। कम जमा करवाई गई राशि का विवरण निमन प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	विनियमित मण्डी व उपसमिति का नाम	रसीद संख्या	दिनॉक / माह	रसीद बुक के अनुसार प्राप्त की गई वास्तविक राशि	बैंक में जमा करवाई गई कुल राशि	कम जमा करवाई गई कुल राशि	सम्बन्धित रोकड वही की पृष्ठ संख्या
01	विनियमित मण्डी, ढली	37153 से 38402, 269748 से 269755, 269759 से 269760, 83533, 83536,83837, 83539,83542, 83544 से 83547, 83551 एवम 212183 से 212184 तक	10.03.14	106793	106458	335	162 एवम 163
02.	उपसमिति रामपुर	406815 से 406818 तक व 406821 से 406828 तक	16.01.14 से 17.01.14 तक	18168	18068	100	56 व 57
		406794	27.11.13	20	शून्य	20	54
03.	उपसमिति ठियोग	406743 से 406746 तक	10.11.13 व 16.11.13	21985	21935	50	333
		406736	31.10.13	300	शून्य	300	333
04.	उपसमिति नारकंडा	268385 व 269229	10.04.13 व 29.04.13	565	545	20	19
		269258	13.05.13	310	शून्य	310	19
		माह जुलाई 2013 में विभिन्न रसीदों द्वारा प्राप्त कुल राशि	माह जुलाई 2013	778361	777014	1347	20 से 24 तक

		माह अगस्त 2013 में विभिन्न रसीदों द्वारा प्राप्त कुल राशि	माह अगस्त 2013	4409246	4408792	454	24 से 28 तक
					कुल योग	**2936**	

उक्त प्रकार के कई प्रकरण अंकेक्षण द्वारा समय–समय पर जारी अंकेक्षण अधियाचनाओं व पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाये गये थे, परन्तु फिर भी इस प्रकार के प्रकरण प्रतिवर्ष घटित हो रहे हैं। अतः उपरोक्त उपसमितियों व मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों द्वारा कम जमा की गई राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए।

20 आय के अनाद्रित चैकों की ₹1,62,639/– की वसूली न करना

मण्डी समिति की उपसमिति नारकंडा के हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, नारकंडा के खाता संख्या 426 की बैंक विवरणी की जॉच करने पर पाया गया कि उक्त बैंक में दिनॉक 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान जो चैक अनाद्रित हुए हैं, उन में से निम्न चैकों की पुनः वसूली की पुष्टि नहीं हो सकी।

क्र0. सं0.	फर्म का नाम	आय की प्रकृति	चैक सं0	कार्यालय द्वारा चैक बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि	बैंक द्वारा समाशोधन हेतु चैक प्रस्तुत करने की तिथि	बैंक द्वारा चैक अनाद्रित करने की तिथि	चैक की राशि
1	मै0 एच0 बी0, नारकंडा	मण्डी शुल्क	710473	17.09.13	7.10.13 व 09.11.13	7.10.13 व 09.11.13	134396
2	मै0 पी0 वी0 जे0, नारकंडा	मण्डी शुल्क	458206	30.09.13	7.10.13 व 09.11.13	7.10.13 व 09.11.13	28243
						कुल योग	**1,62,639**

उपरोक्त चैकों को बैंक विवरणी के अनुसार दिनॉक 07.10.2013 को क्रेडिट किया गया दर्शाया गया है तथा अनाद्रित होने की अवस्था में दिनॉक 09.11.2013 को बैंक द्वारा क्रेडिट करके दिनॉक 09.11.2013 को ही बैंक द्वारा पुनः डेबिट भी किया गया, जैसा कि बैंक विवरणी से भी स्पष्ट होता है, परन्तु

इस संदर्भ में पुनः क्रेडिट होने की प्रविष्टी बैंक विवरणी में नहीं पाई गई है तथा उक्त दोनों चैक दिनॉक 31.03.2014 तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुए हैं। इस प्रकार इन चैकों में दर्शाई गई राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो से की जानी अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा उपरोक्त कोताही हेतु उतरदायित्व का भी निर्धारण करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21 मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय की रोकड वही में पाई गई गम्भीर अनियमततायेः

(क) रोकड वही में आय की ₹2,62,392 की प्रविष्टियॉ न करना

मण्डी समिति की अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 की रसीद बुकस, रोकड वही व सम्बधित बैंक विवरणियों के मिलान करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न तिथियों को चैक या नकदी के रूप में जो राशियाँ प्राप्त की है, उन की प्रविष्टियॉ रोकड वही में नहीं की गई हैं। यद्यपि बैंक द्वारा इन राशियों में से चैक के माध्यम से प्राप्त राशियों को विभिन्न तिथियों पर क्रेडिट किया गया दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	व्यक्ति एवम फर्म का नाम जिस से आय प्राप्त हुई है	चैक संख्या/ दिनॉक	रसीद संख्या/ दिनॉक	नकद राशि	चैक की राशि	टिप्पणी, यदि कोई है
1	मै0 गनदीप सिंह मनदीप सिंह, सन्जौली, शिमला–06	.	83698 / 31.03.2014	110	.	फार्म का मूल्य
2	मै0 गनदीप सिंह मनदीप सिंह, सन्जौली, शिमला–06	.	83699 / 31.03.2014	7193	.	मण्डी शुल्क
3	मै0 खन्ना फ्रूट कम्पनी, ढली, शिमला–12	.	83700 / 31.03.2014	110	.	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क
4	मै0 चौहान फ्रूट कम्पनी, बनाहल	.	83448 / 31.03.2014	110	.	.यथोपरि.
5	मै0 मोहन लाल, हुल्ली	.	83449 / 31.03.2014	11	.	.यथोपरि.
6	मै0 महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, भेखलटी	.	83450 / 31.03.2014	110	.	.यथोपरि.
7	मै0 महादेव ट्रेडिंग कम्पनी, भेखलटी	.	83451 / 31.03.2014	110	.	.यथोपरि.
8	मै0 भागमल देवी राम मशोबरा	.	83454 / 31.03.2014	5287	.	मण्डी शुल्क
9	मै0 भागमल देवी राम मशोबरा	.	83455 / 31.03.2014	110	.	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क
10	मै0 ओम प्रकाश दिनेश कुमार, ढली, शिमला–12	878623 / 26.08.13	195739 / 06.08.2013	.	135832	मण्डी शुल्क

11	मै0 ओम प्रकाश दिनेश कुमार, ढली, शिमला–12	878622 / 26.08.13	195740 / 06.08.2013	.	31962	.यथोपरि.
12	मै0 दीपक ट्रेडिंग कम्पनी, ढली, शिमला–12	352492 / 26.08.13	195741 / 06.08.2013	.	41990	.यथोपरि.
13	मै0 हरवीर सिंह, ढली, शिमला–12	.	195742 / 6.08.2013	.	1650	किराया
14	मै0 विश्न दास तीरथ राम	.	83872 / 31.03.14	400	.	फार्म का मूल्य
15	मै0 अनिल करोल एण्ड कम्पनी, ढली,शिमला–12	.	83873 / 31.03.14	310		लाईसैंस शुल्क
16	मै0 सुन्दर लाल चौधरी मल	.	83874 / 31.03.14	110	.	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क
17	मै0 अनिल कुमार टिम्बर मर्चैन्ट, शिमला	.	83875 / 31.03.14	11	.	.यथोपरि.
18	मै0 कृष्णाएण्ड कम्पनी, टिम्बर मर्चैन्ट, शिमला	.	83876 / 31.03.14	300	.	मण्डी शुल्क
19	मै0 कृष्णा एण्ड कम्पनी, टिम्बर मर्चैन्ट, शिमला	.	83877 / 31.03.14	110	.	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क
20	मै0 ओम एण्ड कम्पनी, टिम्बर मर्चैन्ट, शिमला	.	83878 / 31.03.14	110	.	.यथोपरि.
21	मै0 श्रीजन भोग एण्ड कम्पनी, शिमला	.	83879 / 31.03.14	110	.	.यथोपरि.
22	मै0 हितेश कुकरेजा, शिमला	.	83880 / 31.03.14	110	.	.यथोपरि.
23	मै0 रोशन लाल एण्ड सन्स, शिमला	.	83881 / 31.03.14	110	.	.यथोपरि.
24	मै0 एन0 एफ0 सी0 सब्जी मण्डी, शिमला	.	83882 / 31.03.14	21548	.	मण्डी शुल्क
25	मै0 एन0 एफ0 सी0 सब्जी मण्डी, शिमला	.	83883 / 31.03.14	110	.	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क
26	मै0 एन0 एफ0 सी0 सब्जी मण्डी, शिमला	.	83884 / 31.03.14	200	.	फार्म का मूल्य
27	मै0 एन0 एफ0 सी0 सब्जी मण्डी, शिमला	.	83885 / 31.03.14	200	.	.यथोपरि.
28	श्री राम सरन भण्डारी, चौकीदार	..	212109 / 19.08.13	4240	.	विश्राम गृह से प्राप्त आय।
29	मै0 एयर प्लाजा रेस्ट हाउस शिमला / 02	888989 / 20.05.13	210969 / 20.05.13	.	9630	मण्डी शुल्क
			कुल योग	**41328**	**221064**	

अतः अनियमितता से सम्बन्धित यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु लाया जाता है।

(ख) विभिन्न प्रकार के खर्चो हेतु बैंक से निकाली गई ₹35387/– का रोकड़ बहीं में ईन्द्राज न करना

मण्डी समिति कें वर्ष 2013–14 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/रोकड वही व बैंक खातों के मिलान करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न तिथियों को हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, ढली से ₹35387 की निकासी की गई है, जिन को बैंक द्वारा विभिन्न तिथियों पर डेविट भी किया गया दर्शाया है, लेकिन इन की प्रविष्टियॉ मण्डी समिति की रोकड वही में नहीं की गई हैं।

क0 सं0	बिल की प्रकृति जिस के अन्र्तगत भुगतान किया गया	बिल संख्या/ दिनॉक	बैंक का नाम	चैक संख्या	बैंक खाते में राशि डेविट होने की तिथि	राशि
1	सफाई से सम्बधित बिल	331/ 10.10.13	हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, ढली	705906	11.10.13	24990
2	मुरम्मत एवम रखरखाव बिल	465 एवम 466/ 31.12.13	यथोपरि	706796	31.12.13	5170
3	बिजली बिल	582/ 26.02.14	यथोपरि	रोकड वही में चैक संख्या को नहीं दर्शाया गया है	31.03.14 तक बिल का भुगतान नहीं किया गया	152
4	पैट्रोल बिल	583/ 26.03.14	यथोपरि	708060	08.03.14	5075
					कुल योग	**35387**

ऐसे ही प्रकरण वर्ष 2005–06 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 32, वर्ष 2006–07 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 30, वर्ष 2010–11 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6(iii), वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 21 (ग) तथा वर्ष 2012–13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 22 (ग) के अन्र्तगत मण्डी समिति के ध्यानार्थ लाए गए थे, परन्तु अंकेक्षण द्वारा बार–बार आपतियां उठाने पर भी ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर अंकुश नहीं लगाया गया। अतः यह प्रकरण

पुनः मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने के उददेशय से लाया जाता है।

(ग) मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त आय की राशियों से अधिक राशियों अथवा कम राशियों का रोकड़ वही में इन्द्राज करना तथा व्यय के रूप में कम राशि का ईन्द्राज करना

मण्डी समिति के वर्श 2013–14 के आय व व्यय से सम्बन्धित अभिलेख, रोकड वही व बैंक खातों की जॉच पर पाया गया कि विभिन्न पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क के रूप में दिए गए चैकों से सम्बन्धित राशियों व व्यय के रूप में आबंटित की गई राशियों के स्थान पर मण्डी समिति द्वारा वास्तविक राशि से अधिक राशि अथवा कम राशि का ईन्द्राज रोकड वही में किया गया हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	व्यक्ति एवम फर्म का नाम जिस से आय प्राप्त हुई है	रसीद संख्या/ दिनॉक	चैक संख्या	रोकड वही पृश्ठ संख्या	रसीद बुक के अनुसार प्राप्त की गई वास्तविक राशि	रोकड वही में ईन्द्राज की गई राशि	रोकड वही में कम व अधिक ईन्द्राज की गई राशि
				आय			
1	मै0 जगदेव सिंह राणा, शिमला	269177/ 23.04.13	154940	29 खण्ड–1	169203	168203	–1000
2	मै0 हाटेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी	269858/ 28.06.13	299700	128 खण्ड–1	13530	13500	–30
3	मै0 निर्मला फ्रूट एजैन्सी, ढली	269880/ 06.07.13	752427	139 खण्ड–1	9728	9780	+52
4	मै0 शर्मा ब्रर्दस, टुटु, शिमला	83358/ 05.11.13	645681	124 खण्ड–2	33432	33452	+30
5	मै0 के0 बी0, शिमला	284356/ 06.11.13	284356	127 खण्ड–2	16659	16657	–2
6	मै0 प्रताप सिंह सुनील कुमार	684620/ 07.11.13	684620	128 खण्ड–2	13341	13342	+1
7	मै0 निशान्त फ्रूट कम्पनी, ढली	83391/ 25.11.13	840137	136 खण्ड–2	10605	10650	+45
8	मै0 रावल दास जैसी राम	269984/ 22.11.13	662396	135 खण्ड–2	.	51783	+51783
9	मै0 हेम राज एण्ड सन्स	97013/ 09.12.13	603714	142 खण्ड–2	2354	2359	+5

10	मै0 फ्रैश एण्ड हैल्दी ईन्टरर्पाईजिज, कोटखाई	269714 / 16.01.14	115734	152 खण्ड–2	32929	32927	–2
11	मै0 देश राज सुर्दशन कुमार	83539 / 10.03.14	004675	162 खण्ड–2	9043	9038	+5
व्यय							
12	मै0 हिमालय कम्पयूटर सर्विस	.	705170	187 खण्ड–1	7370	7330	–40
वास्तविक राशि से अधिक ईन्द्राज की गई राशि का कुल योग						**₹51921**	
वास्तविक राशि से कम ईन्द्राज की गई राशि का कुल योग						**₹1074**	

अतः अनियमितता से सम्बन्धित यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार कार्यवाही करने के उददेशय से लाया जाता है।

(घ) रोकड़ बहीं में आय की ₹17412 तथा व्यय की ₹66753 का दो बार ईन्द्राज करना

मण्डी समिति के वर्ष 2013–14 के आय व व्यय से सम्बन्धित अभिलेख, रोकड वही व बैंक खातों के मिलान करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न तिथियों को आय व व्यय से सम्बन्धित राशियों का रोकड वही में अलग–अलग पृष्ठों पर दो बार ईन्द्राज किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में भी अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में ला कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	व्यक्ति एवम फर्म का नाम जिस से आय प्राप्त हुई है।	आय की प्रकृति	रसीद संख्या / दिनॉक	चैक संख्या	रोकड वही पृष्ठ संख्या जहॉ–जहॉ प्रविष्टियॉ की गई	राशि
1	मै0 मिन्टू दी हटटी, शिमला	फार्म का मूल्य	83565 / 24.03.14	.	165 खण्ड–2 एवम 169 खण्ड–2	120
2	मै0 दुर्गा उपभोक्ता, शोघी	मण्डी शुल्क	83566 / 24.03.14	.	165 खण्ड–2 एवम 169 खण्ड–2	326
3	मै0 चिरन्जी लाल गोकुल चन्द	मण्डी शुल्क	83567 / 24.03.14	902942	165 खण्ड–2 एवम 169 खण्ड–2	10875
4	मै0 चिरन्जी लाल गोकुल चन्द	लाईसैन्स शुल्क	83568 / 24.03.14	.	165 खण्ड–2 एवम 169 खण्ड–2	110
5	मै0 राजेश सैनी	मण्डी शुल्क	83569 / 24.03.14	.	165 खण्ड–2 एवम 169 खण्ड–2	163
6	मै0 दुर्गा उपभोक्ता, शोघी	लाईसैन्स शुल्क	83570 / 24.03.14	.	165 खण्ड–2 एवम 169 खण्ड–2	110
7	मै0 संजय ब्रर्दस	मण्डी शुल्क	83571 /	292704	165 खण्ड–2 एवम	5708

			24.03.14		169 खण्ड–2	
					कुल योग	**17412**
1	श्री जगदीश ठाकुर	वेतन	455 / 01.01.14	613930	148 खण्ड–2	22462
2	श्री जगदीश ठाकुर	वेतन	632 / 31.03.14	708100	166 खण्ड–2 एवम 175 खण्ड–2	24683
3	श्रीमति सुनीता ठाकुर	वेतन	632 / 31.03.14	708100	166 खण्ड–2 एवम 175 खण्ड–2	18948
4	दी मैनेजर एल0 आई0 सी0	समूहिक बीमा योजना	635 / 31.03.14	708101	166 खण्ड–2 एवम 175 खण्ड–2	66
					कुल योग	**66753**

(ड.) इस के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा हि0 प्र0 वितिय नियम 1971 (खण्ड–1) के नियम 2.2 के प्रावधानानुसार न तो प्रत्येक माह के अन्त में रोकड शेष निकाले गए हैं और न ही इन्हें मण्डी समिति के किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा इन्हें सत्यापित किया गया है। इस के अतिरिक्त उक्त नियम के प्रावधानानुसार वॉछित शेषों का प्रमाण पत्र भी रोकड वही में अंकित नहीं किया गया है और न ही इसे हस्तरक्षरित किया गया है। ऐसी अवस्था में आय–व्यय की प्रविष्टियों के सन्दर्भ में त्रुटियों की सम्भावनाएं होना स्वभाविक ही हैं। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने के उददेशय से लाया जाता है।

22 बैंक खाता संख्या 12087 व खाता संख्या 558 में क्रेडिट की गई ₹6,40,740 के चैकों / नकदी की पुष्टि न होना

मण्डी समिति के पंजाब नैशनल बैंक व हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक सीमित, ढली के खाता संख्या 12087 व खाता संख्या 558 की बैंक विवरणियों की जॉच करने पर पाया गया कि इन बैंकों ने विभिन्न तिथियों को निम्न चैकों / नकदी को क्रेडिट किया गया दर्शाया गया है, किन्तु इन चैकों / नकदी के सन्दर्भ में न तो सम्बन्धित रोकड वही में कोई प्रविशिट की गई है तथा न ही अंकेक्षण को इस से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया। इन चैकों / नकदी का विवरण इस प्रकार से हैः–

क0 सं0	बैंक का नाम व खाता संख्या	चैक संख्या	तिथि	राशि
1	पंजाब नैशनल बैंक, ठियोग 12087	.	20.11.13	37043
2	पंजाब नैशनल बैंक, ठियोग 12087	327184	14.12.13	5685
3	पंजाब नैशनल बैंक , ठियोग 12087	.	15.03.14	1667
4	पंजाब नैशनल बैंक, ठियोग 12087	.	31.03.14	110
5	हि0 प्र0 राज्य बैंक, ढली, 558	110197	09.09.13	2200
6	हि0 प्र0 राज्य बैंक, ढली, 558	22608	07.10.13	107954
7	हि0 प्र0 राज्य बैंक, ढली, 558	85049	09.10.13	449736
8	हि0 प्र0 राज्य बैंक, ढली, 558	154938	26.04.13	36345
			कुल योग	**640740**

अतः उपरोक्त दर्शाए गए चैक/नकदी के रूप में प्राप्त राशि किस फर्म से प्राप्त हुई तथा किस लिए प्राप्त हुई, इस से सम्बन्धित तथ्यों की छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राप्त की गई राशि की पुष्टि/सत्यापन किया जा सके।

23 मण्डी समिति की उपसमिति रामपुर के विश्राम गृह के किराये की ₹1040/– की कम वसूली करने बारे

वर्ष 2013–2014 से सम्बन्धित मण्डी समिति की उपसमिति रामपुर के विश्राम गृह के रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पत्र संख्या एच0एम0बी/आर0/95–6645 दिनॉक 09.09.2013 द्वारा विश्राम गृह के कमरों के किराए से सम्बन्धित नई संशोधित दरों को सात दिनों के भीतर लागू करने के आदेश जारी किये थे, जिस के अनुसार किराये की वसूली की जानी अपेक्षित थी, परन्तु रामपुर के विश्राम गृह में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा कमरों का किराया पुरानी दरो पर ही वसूला गया, तथा **परिशिष्ट "ञ"** में दिए गए विवरणानुसार ₹1040 की कम वसूली की गई है। अतः **परिशिष्ट "ञ"** में दर्शाई गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर के मण्डी समिति निधि में जमा करवाना व तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

24 मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित रसीद बुकों का यू0 फार्मों के रजिस्टर में ईन्द्राज न करने बारे

मण्डी समिति के रसीद बुकस तथा यू0 फार्म के रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा देयक संख्या 6439 दिनॉक 03.03.2009 के अर्न्तगत क्रम संख्या 50001 से क्रम संख्या 150000 तक की रसीद बुक छपवाई गई। इस की प्रविष्टि सम्बधित रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 23 पर दर्शाई गई है। इस रसीद बुकों में से क्रम संख्या 138000 तक रसीद बुको विभिन्न कर्मचारियों को उक्त रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 36 तक जारी किया गया दर्शाया गया है। इस के उपरान्त इन रसीद बुक की कोई भी प्रविश्टि क्रमानुसार नहीं की गई है, जिस के अभाव से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि बकाया कितनी रसीदें शेष हैं। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इन बकाया रसीदों के अतिरिक्त देयक संख्या 0007444 दिनाँक 02.08.2010 के तहत 1000 रसीद बुकस छपवाई गई, जिन्हें पृष्ठ संख्या 34 पर दर्शाया गया हैं, परन्तु इन रसीद बुक के क्रम संख्या यू फार्म रजिस्टर में अंकित नहीं किए गए हैं तथा न ही इन्हें क्रमानुसार जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–2014 में विभिन्न नाकाचौकियों की रसीदों की जॉच करने पर यह भी पाया गया कि कुछ रसीद बुक को जारी करते समय इनका यू फार्म रजिस्टर में ईन्द्राज भी नहीं किया गया है, जोकि एक गम्भीर वितिय अनियमितता है। उपरोक्त दर्शाई गई समस्त रसीद बुकों का सम्बन्धित रजिस्टर में ईन्द्राज करने व रसीद बुक की समाप्ति के उपरान्त इन रसीद बुकों को वापिस करने पर रसीद बुकों की प्रविष्टि का पूर्ण व्यौरा सम्बन्धित रजिस्टर में दर्शाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 174 दिनाँक

08.09.2014 द्वारा सचिव मण्डी समिति को अवगत करवाया गया था, परन्तु उनके द्वारा इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई करने के उददेशय से लाया जाता है।

25 हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, ढली से ₹1,00,00,000/– को स्थानान्तरित करने पर भी एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, सन्जौली द्वारा सावधि जमा बिलम्व से बनाने पर ₹17260/–की हानि का होना

मण्डी समिति की वर्ष 2013–2014 की रोकड वही व खाता संख्या 558 की बैंक विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, ढली से चैक संख्या 705161 दिनाँक 26.07.2013 द्वारा सावधि जमा बनाने हेतु ₹1,00,00,000/–एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, सन्जौली को स्थानान्तरित की गई, परन्तु एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, सन्जौली द्वारा दिनाँक 26.07.2013 के स्थान पर दिनाँक 02.08.2013 को उक्त राशि की नई सावधि जमा 9.00% व्याज दर से 366 दिन के लिए बनाई, जिस के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को ₹17,260 की व्याज के रूप में हानि हुई। इस से स्पष्ट होता है कि मण्डी समिति द्वारा अपने जमा खातों व बैंक विवरणियों का अवलोकन नहीं किया जाता है। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आाशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण में संस्था द्वारा अपने स्तर पर जॉच कर के बैंक द्वारा नई सावधि जमा सात दिन की देरी से बनाने पर उपरोक्त हुई व्याज के रूप में हुई हानि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 बैंक द्वारा सावधि जमा पर देय व्याज से कम व्याज देने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को ₹1,50,116 की हानि का होना

मण्डी समिति के वर्ष 2013–2014 के सावधि जमा रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस वितीय वर्ष में पंजाब नैशनल बैंक, सन्जौली में विभिन्न तिथियों को अलग–अलग राशियाँ सावधि जमा के रूप में निवेशित की गई थी। पंजाब नैशनल बैंक, सन्जौली द्वारा सावधि जमा के परिपक्वतता मूल्य से कम मूल्य पर सावधि जमा को पुनः निवेश किया गया है, जिसका विवरण **यथा परिशिष्ट "ट"** पर संलग्न है। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण को बैंक के समक्ष उठा कर कम दिए गए व्याज की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की हानि की पुनरावृति पर अंकुश लगााया जा सके।

27 मण्डी समिति की सावधि में जमा राशियों को परिपक्वतता पर बिलम्ब से स्थानान्तरित करने पर व्याज के रूप मे ₹14800./–की हानि का होना

मण्डी समिति के वर्ष 2013–2014 के सावधि जमा रजिस्टर, बैंक विवरणियों व सावधि जमा राशियों की जॉच करने पर पाया गया कि हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक, ढली व स्टेट बैंक ऑफ

पटियाला, सन्जौली द्वारा सावधि जमा योजना के अर्न्तगत विभिन्न बैंकों में निवेशित राशियों को परिपक्वतता पर पुनः निवेश हेतु स्थानान्तरित न करके बिलम्ब से स्थानान्तरित करने पर व्याज के रूप में ₹14800 की हानि हुई है, जिस का विवरण यथा **परिशिष्ट "ठ"** पर संलग्न किया गया है। अतः उक्त प्रकरण की पूरी छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व सम्बन्धित बैंको द्वारा कम दिए गए व्याज की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

28 सावधि जमा योजना में निवेशित ₹19,71,03,477 का सावधि जमा रजिस्टर में ईन्द्राज न करना

मण्डी समिति के वर्ष 2013–2014 के सावधि जमा रजिस्टर व सावधि जमा राशियों की जॉच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस वितीय वर्ष में अपनी अधिशेष निधि व पुरानी सावधि जमा योजनाओं को उन की परिपक्वतता पर विभिन्न बैंकों में पुनः निवेश किया गया है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ड"** पर दिया गया है। इन सावधि जमा राशियों का सावधि जमा रजिस्टर में ईन्द्राज नहीं किया गया है, जोकि मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों द्वारा प्रभावी नियन्त्रण न किए जाने का परिचायक है। इस अनियमितता से सम्बन्धित अंकेक्षण अधियाचना संख्या 151 दिनाँक 05. 08.2014 को मण्डी समिति को जारी की गई थी, परन्तु इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण प्रभावशाली ढंग से करवाने के उद्देशय से लाया जाता है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सावधि जमा रजिस्टर में निधि निकालते व पुनः निवेश करते समय इसका पूर्ण उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

29 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बचत खातों में अत्याधिक राशि रखने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को होने वाली प्राप्त योग्य व्याज की सम्भावित हानि के बारें में

वर्ष 2013–2014 के विभिन्न बैंको में मण्डी समिति के संचालित बैंक खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दिन प्रतिदिन के व्ययों के भुगतान करने के उपरान्त भी बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखी गई है, जैसा कि **परिशिष्ट "ढ"** पर दर्शाए गए विवरण एवम नीचे दी गई तालिका पर बचत खातों में तिमाही वार जमा राशि के आधार पर बनाए गए विस्तृत विवरण के अवलोकन से विदित होता है, जबकि इन राशियों का एक सुमिचित भाग सावधि जमा योजना में निवेशित किया जा सकता था।

क0सं0	**तिमाही**	**विभिन्न बैंकों में बचत खातों की जमा राशि**
1	31.03.2013 को समाप्त तिमाही	2,30,99,857
2	30.06.2013 को समाप्त तिमाही	2,79,53,899
3	30.09.2013 को समाप्त तिमाही	11,19,49,182

4	31.12.2013 को समाप्त तिमाही	10,20,34,013
5	31.03.2014 को समाप्त तिमाही	9,60,10,892

यदि उपरोक्त तिमाहीवार बचत खातों में रखी गई राशियों में से आधिक्य राशियों को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाता तो मण्डी समिति को व्याज के रूप में प्राप्त योग्य राशि की सम्भावित हानि नहीं हुई होती। अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पूरी छानबीन करने के साथ–साथ मण्डी समिति द्वारा प्रभावी वितीय प्रबन्धन भी सुनिश्ति किया जाए तथा आधिक्य राशियों का निवेश सावधि जमा योजना में किया जाए, जिससे मण्डी समिति को उपलब्ध साधनों से अधिक से अधिक आय सुनिश्चित हो सके।

30 डिपोजिट कार्य हेतु जमा करवाई गई ₹90,67,492 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न कार्यों का निर्माण हि0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खलीनी, शिमला.171002 के माध्यम से डिपोजिट कार्य के विरूद्ध करवाया जाता है, जिस के लिए धन की व्यव्स्था मण्डी समिति की निधि से की जाती है। मण्डी समिति द्वारा डिपोजिट कार्य के अर्न्तगत करवाए गए निर्माण कार्य के सन्दर्भ में हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित हैं। इस सन्दर्भ में कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवम किन्नौर द्वारा वर्ष 2013–2014 में निर्माण कार्य के लिए हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला के पास ₹90,67,492/– जमा करवाई गई थी, जिस का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ण"** पर दिया गया है, परन्तु उक्त जमा करवाई गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए है, जिन्हें विपणन बोर्ड कार्यालय से शीघ्र प्राप्त कर के अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि न तो हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड डिपोजिट कार्य के अर्न्तगत प्राप्त राशि को उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने बारे गम्भीर है और न ही मण्डी कार्यालय समय–समय पर विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त यथासमय अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए गम्भीर है। इस प्रकरण में विगत वर्षों से लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का व्यौरा निम्नलिखित हैः–

क0सं0	**वर्ष**	**राशि**
1	2001–2002	4,28,750
2	2002–2003	3,50,000
3	2003–2004	–
4	2004–2005	49,63,400
5	2005–2006	24,00,000
6	2006–2007	87,97,000
7	2007–2008	91,97,000
8	2008–2009	92,04,600
9	2009–2010	1,73,11,985

10	2010—2011	99,47,377
11	2011—2012	84,15,930
12	2012—2013	1,54,24,868
13	2013—2014	90,67,492

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

31 श्री एस.आर कश्यप विपणम अधिकारी को दी गई अग्रिम ₹39000 का समायोजन न करने बारे

मण्डी समिति के समायोजन बिल संख्या 128 दिनॉक 15.07.2005 की जाँच करने पर पाया गया कि श्री एस0 आर0 कश्यप, विपणन अधिकारी को दिनॉक 02.02.2001 अग्रिम ₹35000 व दिनॉक 04.05.2001 को अग्रिम ₹4000 नेरीपुल नाकाचौकी में गुमटी बनाने हेतु प्रदान की गई थी। हि0प्र0 विपणन बोर्ड द्वारा उक्त कार्य श्री प्रदीप सूद, ठेकेदार को आबंटित किया था। उक्त ठेकेदार द्वारा मण्डी समिति की अपनी जमीन उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य करने से इन्कार कर दिया। इस के उपरान्त यह कार्य किसी भी ठेकेदार को आबंटित नहीं किया गया। श्री कश्यप द्वारा बिना किसी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना अर्थात निविदायें इत्यादि प्राप्त किए बिना व तुलनात्मक विवरणिका इत्यादि तैयार किए उक्त कार्य करवाया गया, जोकि संचिका संख्याः ए0 पी0 एम0 सी0/एस0एम0एल0—1—1/96 में सलग्ंन अभिलेख के अवलोकन से भी प्रतीत होता है। उक्त समायोजन बिल को अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 138 दिनॉक 01.07.2013 के अर्न्तगत आपतियाँ उठाकर सहित वापिस लौटाया गया था, लेकिन मण्डी समिति द्वारा न तो बिल में वर्णित आपतियों का निपटारा किया गया और न ही बिल को पुनः अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, अपितु सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा उन के पत्र संख्याः ए0 पी0 एम0 सी0/एस0एम0एल0—1—14—खण्ड—8—526 दिनाँक 09.06.2014 द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्री कश्यप के वेतन से ₹5000 की दर से वसूली प्रारम्भ कर दी गई है। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस प्रकरण में अपेक्षित वसूली करने के उपरान्त अग्रिम राशियों से सम्बन्धित समायोजन बिल को पूर्ण अभिलेख सहित अंकेक्षण में समायोजन हेतु प्रस्तुत करने सुनिश्चित करें ताकि उक्त राशि का समायोजन हो सके।

32 वेतन वृद्धि के रूप में ₹524/— का अनियमित भुगतान करना

मण्डी समिति ढली के अधिकारियों एवम कर्मचारियों की निजी संचिकाओं व सेवा पुस्तिकाओं की जॉच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति में कार्यरत श्री अनिल कुमार (सचिव) तथा श्री अनुज कुमार (लेखाकार) को हि0 प्र0 वित विनियमन विभाग के कार्यालय पत्र संख्याः फिन (सी0) बी0 (7)—5, 2009 दिनॉक 03.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित पद के टाईम स्केल का न्यूनतम 3%

वेतनवृद्धि देय थी, जोकि सरकारी विभागों में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के 12 माह का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त देय होती है। इस के अतिरिक्त पत्र संख्याः फिन (सी0) बी0 (7)–5, 2009 दिनाँक 22.11.2013 में भी हि0प्र0 सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि न्यूनतम वेतनवृद्धि की राशि को पूर्णांकित (Rounded off) भी नहीं किया जाना है, परन्तु मण्डी समिति में कार्यरत श्री अनिल कुमार (सचिव) तथा श्री अनुज कुमार (लेखाकार) का वेतन का निर्धारण उक्त आदेशों के अनुसार न करके उनके वेतन का अधिक निर्धारण किया गया है। उक्त कर्मचारियों को दिनाँक 31.03.2014 तक दिए गए अनियमित रूप से अधिक दी गई वेतन वृद्धि का विवरण इस प्रकार से हैः–

क0 सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम	सरकारी आदेशों के अनुरूप देय मूल वेतन	दिया गया वास्तविक मूल वेतन	अन्तर	अवधि	वसूली
1	श्री अनिल कुमार, सचिव	16677	1727	50	1.04.13 से 9.12.13 तक कुल 8 माह 9 दिन	415
2	श्री अनुज कुमार, लेखाकार	14946	14959	13	21.07.13 से 31.03.14 तक कुल 8 माह 11 दिन	109
					कुल योग	**524**

अतः उपरोक्त दी गई अनियमित वेतनवृद्धि की वसूली शीघ्रातिशीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को यथासमय अवगत किया जाए।

33 विभिन्न बिलो से ₹63,333/– की स्थल पर की गई कटौती के बारे में

वर्ष 2013–2014 में निवासी अंकेक्षण योजना के पूर्वाअंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिलों की जाँच पडताल के दौरान ₹63,333 की कटौती अंकेक्षण द्वारा स्थल पर करवा दी थी। अतः मण्डी समिति के प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि मण्डी समिति की आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ बनाया जाए तथा भविष्य में पूर्वाकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न बिलों की सही प्रकार से जाँच पडताल के उपरान्त ही इन्हें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ताकि अनियमित अदायगी की किसी भी सम्भावना से बचा जा सके।

34 निष्कर्ष

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवम किन्नौर, ढली, शिमला–171012 के लेखों का रखरखाव सन्तोषजनक नही है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2013–2014 की वितीय स्थिति व अन्य अभिलेख/सूचनाएं अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इन सूचनाओं का उल्लेख इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में नही हो सका। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा बैंक समाधान विवरणिकाएं भी नहीं बनाई जाती है और न ही बैंक खातों का नियमानुसार मिलान भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त

पुराने लम्बित पडे अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में गतिशीलता नगण्य है। इस प्रकार अंकेक्षण हेतु सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाने से जहाँ अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वहीं अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी बिलम्व होता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14) 38/70–5056–5059, दिनांक, 22.7.15 शिमला–09

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शिमला किन्नैर स्थित ढली, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर तथा इस विभाग को तथा अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति शिमला किन्नौर स्थित ढली को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 राज्य कृषि विपरण बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला–171002
3. विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002
4. अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला किन्नौर स्थित ढली शिमला–171012

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2013 से 3/2014

भाग–3

पुरानी लम्बित पड़ी अंकेक्षण आपत्तियों की वर्तमान स्थिति पैरा 1 (घ)

(क) लेखा परीक्षा रिर्पोट अवधि 7/74 से 3/83		
1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ए, सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (बी सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
(ख) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/83 से 3/84		
1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
(ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/84 से 3/85		
1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ए),(डी),(ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16(3),(8) एवं (9)	अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/85 से 3/86		
1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7(1), (6), (7) एवं (14)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (1) एवं (2)	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
(ङ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/86 से 3/88		
1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए) एवं (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(बी) एवं (डी से जी)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(ए से डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
(च) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/88 से 3/91		
1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(क से ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा 7(क से ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(क से ग)	अनिर्णीत
7	पैरा 10(च)(1 से 7)	अनिर्णीत
8	पैरा 10(5)(1 से 4)	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 12(क से ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 14	आंशिक निर्णीतः
12	पैरा 14(क से ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा 15(ख से ग)	अनिर्णीत
14	पैरा 16 (क,ख,ग,घ,च,छ,ज,झ, य एवं ट)	अनिर्णीत
15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 18 (क)	अनिर्णीत

17	पैरा 20	अनिर्णीत
18	पैरा 22	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24 (क तथा ख)	अनिर्णीत
21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत
23	पैरा 27	अनिर्णीत
24	पैरा 28	अनिर्णीत
25	पैरा 29	अनिर्णीत
(छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/91 से 3/96		
1	पैरा 3(ग), (3), (4) एवं (9)	अनिर्णीत
2	पैरा 4(क)(4)	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6 (क,ख) (1 से 5) ग,घ,ङ,च तथा छ)	अनिर्णीत
5	पैरा 7(क)(1,4,5,6) तथा (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(क)(3)	अनिर्णीत
7 8	पैरा 8(क),(ग) पैरा 8 (ख)	अनिर्णीत आंशिक निर्णीत
9	पैरा 9(3)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(क)(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 10(ङ)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(ख)(2)	आंशिक निर्णीत
13	पैरा 10(घ)(1 तथा 2)	अनिर्णीत
14	पैरा 10(च)(1) एवं (3)	अनिर्णीत
15	पैरा 10(ज)(1) (ए तथा बी)	अनिर्णीत
16	पैरा 10(ज) (2 तथा 3)	अनिर्णीत
17	पैरा 10(झ)	आंशिक निर्णीत

18	पैरा 10(ण)	अनिर्णीत
19	पैरा 11	अनिर्णीत
20	पैरा 12	अनिर्णीत
21	पैरा 13	अनिर्णीत
22	पैरा 14	अनिर्णीत
23	पैरा 15	अनिर्णीत
24	पैरा 16	अनिर्णीत
25	पैरा 17	अनिर्णीत
26	पैरा 18	अनिर्णीत
27	पैरा 19	अनिर्णीत
28	पैरा 20	अनिर्णीत
29	पैरा 21	अनिर्णीत
30	पैरा 22	अनिर्णीत
31	पैरा 23	अनिर्णीत
	(ज) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/96 से 3/99	
1	पैरा 3(ख)(2) एवं (7)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ख)(9 से 12)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(ग) (3), (6), (8) एवं (9)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(क) एवं (ख)	आंशिक निर्णीत
5	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
7	पैरा 8(क) एवं (ख)(1 से 5)	अनिर्णीत
8	पैरा 8(ग)(1 से 2)	अनिर्णीत
9	पैरा 9(क), (ख) एवं (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(क),(ख) एवं (ग)	अनिर्णीत

11	पैरा 11(1 से 9)	अनिर्णीत
12	पैरा 12	अनिर्णीत
13	पैरा 13	अनिर्णीत
14	पैरा 14	आंशिक निर्णीत
15	पैरा 15	आंशिक निर्णीत
16	पैरा 17	अनिर्णीत
17	पैरा 18	अनिर्णीत
18	पैरा 19 (क से घ)	अनिर्णीत
19	पैरा 20	अनिर्णीत
20	पैरा 21	अनिर्णीत
21	पैरा 22	अनिर्णीत
22	पैरा 23	अनिर्णीत
23	पैरा 24	अनिर्णीत
24	पैरा 28	अनिर्णीत
25	पैरा 29(क तथा ख)	अनिर्णीत
26	पैरा 30	अनिर्णीत
27	पैरा 34(क), (ख) एवं (ग)	अनिर्णीत
28	पैरा 35 (1) (2, 3)	अनिर्णीत
29	पैरा 35 (5), (6) एवं (7)	अनिर्णीत
30	पैरा 36(1 से 3)	अनिर्णीत
31	पैरा 38(1 से 4)	अनिर्णीत
32.	पैरा 39	अनिर्णीत
33	पैरा 41	अनिर्णीत
34	पैरा 42	अनिर्णीत
35	पैरा 43	अनिर्णीत

(झ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/99 से 3/2000		
1	पैरा 3(ख)(10),(11) एवं(12)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ग)2(1),(2),(3),(6),(7),(9)एवं(12)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(ग)2(10)	आंशिक निर्णीत
4	पैरा 3(घ)(1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा 9	आंशिक निर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 22	अनिर्णीत
17	पैरा 23	अनिर्णीत
18	पैरा 24	अनिर्णीत
19	पैरा 26	अनिर्णीत
20	पैरा 28	अनिर्णीत
21	पैरा 29	अनिर्णीत
22	पैरा 31	अनिर्णीत
23	पैरा 32	अनिर्णीत
24	पैरा 34	अनिर्णीत
25	पैरा 35	अनिर्णीत

26	पैरा 37(1), (2)	अनिर्णीत
27	पैरा 37 (3)(1 से 6)	
28	पैरा 38	अनिर्णीत
29	पैरा 40	अनिर्णीत
30	पैरा 41	अनिर्णीत
31	पैरा 42	अनिर्णीत
32	पैरा 43(1 से 14)	अनिर्णीत
33	पैरा 44	अनिर्णीत

(ञ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3 4	पैरा 8(क तथा ख) पैरा 9	अनिर्णीत अनिर्णीत
5	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(ग)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11(क तथा ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 14(ख)	आंशिक निर्णीत
11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 16 (क से घ) एवं (ण)	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18	आंशिक निर्णीत
15	पैरा 19	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21	अनिर्णीत

18	पैरा 23	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25	अनिर्णीत
21	पैरा 26	अनिर्णीत
22	पैरा 27	अनिर्णीत
23	पैरा 28	अनिर्णीत
24	पैरा 30	अनिर्णीत
25	पैरा 31	अनिर्णीत
26	पैरा 32	अनिर्णीत
27	पैरा 33	अनिर्णीत
28	पैरा 34	अनिर्णीत
29	पैरा 35	अनिर्णीत
30	पैरा 36(क से घ) एवं (ण)	अनिर्णीत
31	पैरा 38	अनिर्णीत
32	पैरा 39	अनिर्णीत
33	पैरा 40	अनिर्णीत
34	पैरा 41	अनिर्णीत
35	पैरा 42	अनिर्णीत
36	पैरा 43	अनिर्णीत
37	पैरा 45	अनिर्णीत
38	पैरा 46 क तथा ख	अनिर्णीत
(त) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2001 से 3/2002		
1	पैरा 5 (क,ख तथा ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत

3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत
11	पैरा 18	अनिर्णीत
12	पैरा 19	अनिर्णीत
13	पैरा 20	अनिर्णीत
14	पैरा 21	अनिर्णीत
15	पैरा 23	अनिर्णीत
16	पैरा 24	अनिर्णीत
17	पैरा 25	अनिर्णीत
18	पैरा 26	अनिर्णीत
19	पैरा 27	अनिर्णीत
20	पैरा 28	अनिर्णीत
21	पैरा 29	अनिर्णीत
22	पैरा 30	अनिर्णीत
23	पैरा 31	अनिर्णीत
24	पैरा 32	अनिर्णीत

25	पैरा 34	अनिर्णीत
26	पैरा 35	अनिर्णीत
27	पैरा 36	अनिर्णीत
28	पैरा 37	अनिर्णीत
29	पैरा 38	अनिर्णीत
30	पैरा 39	अनिर्णीत
31	पैरा 40(ए तथा बी)	अनिर्णीत
32	पैरा 41	अनिर्णीत
33	पैरा 42	अनिर्णीत
34	पैरा 43	अनिर्णीत
35	पैरा 44	अनिर्णीत
36	पैरा 45	अनिर्णीत
(थ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2002 से 3/2003		
1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत

11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 16	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 18	अनिर्णीत
15	पैरा 19	अनिर्णीत
16	पैरा 20	अनिर्णीत
17	पैरा 21	अनिर्णीत
18	पैरा 22	अनिर्णीत
19	पैरा 23	अनिर्णीत
20	पैरा 24	अनिर्णीत
21	पैरा 25	अनिर्णीत
22	पैरा 26	अनिर्णीत
23	पैरा 27	अनिर्णीत
24	पैरा 28	अनिर्णीत
25	पैरा 29	अनिर्णीत
26	पैरा 30	अनिर्णीत
27	पैरा 31	अनिर्णीत
28	पैरा 32	अनिर्णीत
29	पैरा 33	अनिर्णीत
30	पैरा 34	अनिर्णीत
31	पैरा 35	अनिर्णीत
32	पैरा 36	अनिर्णीत
33	पैरा 37	अनिर्णीत
34	पैरा 38	अनिर्णीत

35	पैरा 39	अनिर्णीत
(द) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2003 से 3/2004		
1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 7	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 9	अनिर्णीत
6	पैरा 10	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत
11	पैरा 15	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत
17	पैरा 22	अनिर्णीत
18	पैरा 23	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25	अनिर्णीत
21	पैरा 27	अनिर्णीत

22	पैरा 29	अनिर्णीत
23	पैरा 30	अनिर्णीत
24	पैरा 31	अनिर्णीत
(ध) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2004 से 3/2005		
1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 12	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 14	अनिर्णीत
12	पैरा 15	अनिर्णीत
13	पैरा 17	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा 20	अनिर्णीत
16	पैरा 22	अनिर्णीत
17	पैरा 23	अनिर्णीत
18	पैरा 24	अनिर्णीत
19	पैरा 25	अनिर्णीत

20	पैरा 26	अनिर्णीत
21	पैरा 27	अनिर्णीत
22	पैरा 28	अनिर्णीत
23	पैरा 29	अनिर्णीत
24	पैरा 32	अनिर्णीत
25	पैरा 33	अनिर्णीत
26	पैरा 34	अनिर्णीत
27	पैरा 35	अनिर्णीत
28	पैरा 36	अनिर्णीत
29	पैरा 37	अनिर्णीत
	(न) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2005 से 3/2006	
1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 10	अनिर्णीत
8	पैरा 11	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत

13	पैरा 21	अनिर्णीत
14	पैरा 24	अनिर्णीत
15	पैरा 25	अनिर्णीत
16	पैरा 26	अनिर्णीत
17	पैरा 27	अनिर्णीत
18	पैरा 28	अनिर्णीत
19	पैरा 29	अनिर्णीत
20	पैरा 31	अनिर्णीत
21	पैरा 32	अनिर्णीत
22	पैरा 33	अनिर्णीत
23	पैरा 35	अनिर्णीत
24	पैरा 36	अनिर्णीत
25	पैरा 37	अनिर्णीत
26	पैरा 38	अनिर्णीत
27	पैरा 39	अनिर्णीत
28	पैरा 40	अनिर्णीत
(ट) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2006 से 3/2007		
1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3	अनिर्णीत
3	पैरा 4	अनिर्णीत
4	पैरा 5	अनिर्णीत
5	पैरा 6	अनिर्णीत
6	पैरा 7	अनिर्णीत

7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 10	अनिर्णीत
10	पैरा 11	अनिर्णीत
11	पैरा 12	अनिर्णीत
12	पैरा 13	अनिर्णीत
13	पैरा 14	अनिर्णीत
14	पैरा 15	अनिर्णीत
15	पैरा 17	अनिर्णीत
16	पैरा 18	अनिर्णीत
17	पैरा 19	अनिर्णीत
18	पैरा 20	अनिर्णीत
19	पैरा 21	अनिर्णीत
20	पैरा 22	अनिर्णीत
21	पैरा 24	अनिर्णीत
22	पैरा 25	अनिर्णीत
23	पैरा 26	अनिर्णीत
24	पैरा 27	अनिर्णीत
25	पैरा 28	अनिर्णीत
26	पैरा 29	अनिर्णीत
27	पैरा 30	अनिर्णीत
(ठ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2007 से 3/2008		
1	पैरा 6	अनिर्णीत

2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 21	अनिर्णीत
(ड) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2008 से 3/2009		
1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत

10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत
13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 21	अनिर्णीत
(ढ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2009 से 3/2010		
1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 12	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 14	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा 16	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 20	अनिर्णीत
15	पैरा 21	अनिर्णीत
(ण) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2010 से 3/2011		
1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत

3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 16 (I से VII)	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 20	अनिर्णीत
15	पैरा 21	अनिर्णीत
16	पैरा 22	अनिर्णीत
17	पैरा 23	अनिर्णीत
	(प) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2011 से 3/2012	
1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत

9	पैरा 14	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा संख्या 17 निर्णीत पत्र संख्या 236 दिनॉक 04.12.2014	निर्णीत
12	पैरा 18	अनिर्णीत
13	पैरा 19	अनिर्णीत
14	पैरा 20	अनिर्णीत
15	पैरा 21(क,ख तथा ग)	अनिर्णीत
16	पैरा 22 (i,ii)	अनिर्णीत
17	पैरा 23	अनिर्णीत
18	पैरा 24	अनिर्णीत
19	पैरा 25	अनिर्णीत
20	पैरा 26	अनिर्णीत
	(फ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2012 से 3/2013	
1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 11	अनिर्णीत
7	पैरा 12	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14 (i,ii)	अनिर्णीत
10	पैरा 15	अनिर्णीत
11	पैरा 16	अनिर्णीत
12	पैरा 17	अनिर्णीत

13	पैरा 18	अनिर्णीत
14	पैरा 19	अनिर्णीत
15	पैरा संख्या 20 निर्णीत पत्र संख्या 127 दिनॉक 03.07.2014	निर्णीत
16	पैरा 21	अनिर्णीत
17	पैरा 22(क, ख, ग,घ तथा ङ)	अनिर्णीत
18	पैरा 23	अनिर्णीत
19	पैरा 24	अनिर्णीत
20	पैरा 25	अनिर्णीत
21	पैरा 26	अनिर्णीत
22	पैरा 27	अनिर्णीत
23	पैरा 28	अनिर्णीत
24	पैरा संख्या 29 निर्णीत पत्र संख्या 127 दिनॉक 03.07.2014	निर्णीत
25	पैरा 30	अनिर्णीत
26	पैरा 31	अनिर्णीत
27	पैरा 32	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	477
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लगाए गए पैरे	+31
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	–3
अन्त शेष अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014 तक	505

अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2013 से 3/2014

भाग–(4)

अंकेक्षण प्रतिवेदन का सन्दर्भ भाग पैरा 1 (घ)

पुरानी लम्बित पडी अंकेक्षण आपतियों की वर्तमान स्थिति

(क) पन्द्रह वर्षों से अधिक अवधि सें लम्बित पडे अंकेक्षण पैरेः–

क्र0 सं0	लेखा परीक्षा अवधि	लम्बित पडे पैरे	निर्णीत किए गए पैरों का विवरण
1	7/74 से 3/83	पैरा 4, 5, 6, (ए) 6 (सी) 10,(बी) 10 (सी) 12, 13 एवम 15	श्शून्य
2	4/83 से 3/84	पैरा 6 एवम 7 (ए)	श्शून्य
3	4/84 से 3/85	पैरा 5, 6, (ए), 7(ए), 8(ए), 8(डी), 8(ई), 11, 12, 13, 15 एवम 16(3) (8) एवम (9)	श्शून्य
4	4/85 से 3/86	पैरा 6, 7, (1) (6) (7) एवम (14), 9(सी), 10(1) एवम (2),11 एवम 12(1)	श्शून्य
5	4/86 से 3/88	पैरा 5, 6 (ए), 6(बी), 10(बी)एवं 10(डी से जी) 11(ए से डी) तथा पैरा 12	श्शून्य
6	4/88 से 3/91	पैरा 5,6 (क से ड) 7 (क से ग) 8,9 (ग), 1(क से ग) 10 (च) (1 से 7), 10(5) (1 से 4) 11,12 (क तथा ख) 14,14 (क से ड.), 15 (ख तथा ग), 16 (क,ख,ग,घ,च,छ,ज,झ,ञ तथा ट) 17,18 (क), 20, 22, 23, 24 (क तथा ख) 25, 26, 27, 28 तथा पैरा 29	श्शून्य
7	4/91 से 3/96	पैरा 3(ग) (3 तथा 4), एव (9),4 (क)(4),5 6(क,ख) (1 से 5) ग,घ,ड, च तथा छ), 7(क) (1, 4, 5, 6 तथा ख) 7(क) (3), 8(क), 8(ख), 8(ग), 9(3), 10(क)(2), 10(ख)(2), 10(ड), 10(घ)(1) तथा 2), 10(च)(1), 10(च)(3), 10(ज)(1) (ए तथा बी), 10(ज) (2 तथा 3), 10(झ), 10(ण), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23	श्शून्य
8	4/96 से 3/99	पैरा 3(ख)(2), 3(ख)(7), 3(ख) (9से12), 3(ग)(3), 3(ग)(6), 3(ग)(8), 3(ग)(9), 6(क से ग) 7(1), 8(क), 8(ख), (1से5), 8(ग) (1 तथा 2), 9(क), 9(ख), 9(ग), 10(क से ग), 11(1से9) 12, 13, 14, 15, 17,18, 19 (क से घ) 20, 21, 22, 23, 24, 28 29 (क तथा ख) 30, 34 (क से ग), 35(1), 35(2 तथा 3), 35(5 से 7), 36(1 से 3), 38 (1 से 4), 39 ,41, 42 तथा 43	श्शून्य

(ख) दस वर्षो से अधिक अवधि से लम्बित पडे अंकेक्षण पैरेः–

क्र0 सं0	लेखा परीक्षा अवधि	लम्बित पडे पैरे	निर्णीत किए गए पैरों का विवरण
1	4/99 से 3/2000	पैरा 3(ख) (10 से 12), 3(ग) 2(1), 3(ग) 2(2), 3(ग) 2(3), 3(ग), 2(6) 3(ग) 2(7), 3(ग) 2(9), 3(ग)2 (10), 3(ग) 2(12), 3(घ) (1 से 3) 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ख), 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37(1), 37(2), 37(3) (1 से 6) 38, 40, 41, 42 तथा 43 (1 से 14) पैरा 44)	श्शून्य
2	4/2000 से 3/2001	पैरा 5,7,8 (क तथा ख), 9, 9(ख), 9(ग), 10, 11(क तथा ख), 12, 14(ख), 15, 16(क से घ), तथा (ण), 17.18, 19,20, 21, 23,24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (क से घ), तथा (ण), 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 तथा 46 (क तथा ख)	श्शून्य
3	4/2001 से 3/2002	पैरा 5(क,ख तथा ग),6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ,40 (ए तथा बी), 41, 42, 43, 44 तथा 45	शून्य
4	4/2002 से 3/2003	पैरा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तथा 39	शून्य

(ग) पांच वर्षो से अधिक अवधि से लम्बित पडे अंकेक्षण पैरेः–

क्र0 सं0	लेखा परीक्षा अवधि	लम्बित पडे पैरे	निर्णीत किए गए पैरों का विवरण
1	4/2003 से 3/2004	पैरा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 तथा 31	शून्य
2	4/2004 से 3/2005	पैरा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 तथा 37	शून्य
3	4/2005 से 3/2006	पैरा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 तथा 40	शून्य
4	4/2006 से 3/2007	पैरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 30	शून्य
5	4/2007 से 3/2008	पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तथा 21	शून्य
6	4/2008 से 3/2009	पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, तथा 21	शून्य

(घ) पांच वर्षो से कम अवधि से लम्बित पडे अंकेक्षण पैरेः—

क्र0 सं0	**लेखा परीक्षा अवधि**	**लम्बित पडे पैरे**	**निर्णीत किए गए पैरे**	**निर्णीत किए गए पैरे का विवरण**
1	4/2009 से 3/2010	पैरा 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एवं 21	शून्य	
2	4/2010 से 3/2011	पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, (i,ii,iii,iv,v,vi,vii), 17, 18, 19, 20, 21, 22, तथा 23	शून्य	
3	4/2011 से 3/2012	पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 (क,ख तथा ग), 22 (i,ii), 23, 24, 25, तथा 26	पैरा सं0 17 निर्णीत	पत्र सं0 236 दिनाँक 4.12. 2014
4	4/2012 से 3/2013	पैरा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (i, तथा ii), 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 (क से ड), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, एवम 32	पैरा संख्या 20 एवम 29 निर्णीत	पत्र संख्सा 127 दिनाँक 03.07.2014

भाग–4(ख)

लम्बित पडी अंकेक्षण अधियाचनाऐं पैरा (पैरा 1घ) के साथ पढें)

वर्ष 2013–2014 के दौरान अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को जारी की गई अंकेक्षण अधियाचनाओं में से निम्नलिखित अंकेक्षण अधियाचनाऐं निपटारे हेतु अभी शेष हैः–

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100, दिनाँक 24.05.2013, 121 दिनाँक 12.06.2013, 136 दिनाँक 01.07. 2013, 138 दिनाँक 01.07.2013, 139 दिनाँक 03.07.2013, 140 दिनाँक 03.07.2013, 141 दिनाँक 04.07.2013, 163 दिनाँक 14.08.2013, 166 दिनाँक 14.08.2013, 188 दिनाँक 20.09.2013, 205 दिनाँक 07.10.2013, 207 दिनाँक 07.10.2013, 208 दिनाँक 07.10.2013, 211 दिनाँक 26.10.2013, 217 दिनाँक 30.10.2013, 232 दिनाँक 23.11.2013, 246 दिनाँक 06.12.2013, 249 दिनाँक 16.12.2013, 10 दिनाँक 03.01.2014, 11 दिनाँक 03.01.2014, 12 दिनाँक 03.01.2014, 57 दिनाँक 28.03.2014 तथा 59 दिनाँक 31.03.2014.

अतः उपरोक्त सभी लम्बित अंकेक्षण अधियाचनाओं का निपटारा सुनिश्चित करने के साथ–साथ वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2012–2013 तक की सभी लम्बित अंकेक्षण अधियानचाओं का निपटारा भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुलग्नक–बी **पैरा संख्या 4 (क)**

<u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014</u>

मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर, ढली शिमला–12 के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखों पर अंकेक्षण की विविक्षा टिप्पणियां :–

{क} तुलनपत्र **(Balance Sheet)**

{i} दायित्व पक्ष **(liabilities)**

{ए} सामान्य निधि

चार्टर्ड अकाउंटैट द्वारा वर्ष 2013–14 के तुलनपत्र में ₹50,64,78,762.82 का प्रारम्भिक शेष दर्शाया गया है, जोकि अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2012–2013 के तुलनपत्र की विविक्षा करने के उपरान्त अन्तिम शेष दर्शाया गया था। चार्टर्ड अकाउंटैट द्वारा उसी के आधार पर संशोधित तुलनपत्र में प्रारम्भिक शेष ₹50,64,78,762.82 दर्शाया है। कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही आय के सन्दर्भ में कोई भी वर्गीकृत खाता वही तैयार नहीं की गई हैं, जिसका वर्णन विगत वर्षो के वार्षिक लेखों की विविक्षा टिप्पणियों में भी किया गया है । मण्डी समिति कार्यालय में आय से सम्बन्धित वर्गीकृत खाता वही उपलब्ध न होने के कारण इस सन्दर्भ में कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 के तुलनपत्र में आय का व्यय पर आधिक्य (Surplus) ₹8,55,93,885.14 दर्शाया गया हैए जबकि वास्तव में आय का व्यय पर आधिक्य ₹10,74,85,448.42 बनता है, जिससे उक्त मद में ₹2,18,91,563.28 कम दर्शाई गई है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चॉटड अकाउटैंट द्वारा तैयार किए गए आय व व्यय खाता में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त तथा आय व व्यय खाता में दर्शाए गए घिसावट व्यय व अपलिखित अनुदान राशि write off/Grant-in-aid को यथा मानते हुए वर्ष 2013–14 का आय का व्यय पर आधिक्य ₹10,74,85,448.42 ही बनता है, क्योंकि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही चल व अचल सम्पति रजिस्टर तैयार नहीं किए गए है, जिस कारण आय व व्यय खाता में दर्शाए गए घिसावट व्यय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति भी तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है।

{बी} अनुदान (Grant-in-aid)

तुलनपत्र में अनुदान की राशि शून्य दर्शाई गई है, जो कि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

{सी} चल दायित्व **(Current Liabilities)**

{i} हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क का 25% हिस्सा

चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा तुलनपत्र के दायित्व पक्ष में हि0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क का 25% हिस्सा ₹3,33,48,473.72 दर्शाया गया है, जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार ₹2,30,20,028.93 बनता है। इस प्रकार चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा उक्त मद ₹1,03,28,444.79 अधिक दर्शाई गई है।

{ii} दुकानों की प्रतिभूति राशि

तुलनपत्र में दर्शाई गई दुकानों की प्रतिभूति ₹28,17,506.00 मण्डी समिति कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति तक यह ₹24,01,506/– की थी। वर्ष 2013–14 में प्रतिभूति की ₹26,000/– वापिस की गई है तथा वर्ष 2013–14 में प्रतिभूति की ₹81,950/– प्राप्त की गई है। इस प्रकार कार्यालय अभिलेख के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013–14 की समाप्ति तक मण्डी समिति के पास दुकानों की प्रतिभूति ₹24,57,506/– बनती है, जबकि चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा तुलन–पत्र में यह ₹3,60,000/– अधिक दर्शाई गई है ।

{iii} प्रतिभूति {अन्य}

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सका।

{iv} धरोहर राशि (Earnest Money)

धरोहर राशि के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सका ।

{v} पंजीकरण शुल्क

तुलनपत्र में दशाई गई पंजीकरण शुल्क की ₹25,50,000/– मण्डी समिति के कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है।

{vi} पंजीकरण शुल्क {अन्य}

वांछित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इस मद की ₹5,33,453.02 का सत्यापन नहीं किया जा सका ।

{vii} न्यायालय में अनिर्णीत मार्किट फीस से सम्बन्धित मामले के सन्दर्भ में जमा प्रतिभूति राशि

मै0 करोल ब्रदर्स की मार्किट फीस का मामला वसूली हेतू जिला समाहर्ता शिमला को भेजा गया था उसके खिलाफ उक्त फर्म ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस सन्दर्भ में उक्त फर्म को मूल ₹3,00,000/– कार्यालय में जमा करवाए जाने के निर्देश दिये थे, जो कि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है ।

{2} सम्पत्ति पक्ष (Assets)

{ए} स्थाई सम्पत्तियां (Fixed Assets)

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा चल व अचल सम्पत्ति का कोई भी रजिस्टर न रखे जाने के कारण तथा इन मदों के सत्यापन हेतु कोई अन्य अभिलेख वर्ष 2013–14 के उत्तरांकेक्षण की समाप्ति तक भी अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने के कारण स्थाई सम्पत्तियों के किसी भी मद का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सका ।

{बी} चल सम्पत्तियां (Current Assets)

(i) हस्तगत राशि (Cash in hand)

तुलनपत्र के अनुसार हस्तगत राशि शून्य दर्शाई गई है, जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार मण्डी समिति मुख्यालय, ढली में दिनाँक 31.3.2014 को ₹13103/– व उप समिति रोहडू में दिनाक 31.3.2014 को ₹3,71,687/– हस्तगत थी। इस प्रकार दिनॉक 31.03.2014 को कुल ₹3,84,790/–हस्तगत थी।

(ii) बैंक शेष (Bank Balances)

तुलनपत्र के अनुसार बैंक शेष ₹7,36,47,848.75 का दर्शाया गया है, जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार ₹9,60,10,892.00 का शेष बनता है। इस प्रकार चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा बैंक शेष ₹2,23,63,043.25 कम दर्शाई गई है। यद्यपि चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा ₹2,23,63,043.25 का चैक, जो क्रेडिट नहीं हुए दर्शाया गया है। तुलनपत्र के साथ संलग्न विवरण व कार्यालय अभिलेख के मिलान से यह स्पष्ट होता है कि ₹2,23,63,043.25 की भिन्नता निम्नलिखित प्रकार से है।

क0 सं0	बैंक का विवरण	तुलनपत्र में दशाई गई राशि	अभिलेख के अनुसार राशि	भिन्नता
1	चैक जो भुनाए नहीं गए (उचन्ति खाता) (Suspense Account)	2,23,63,043.25	00	2,23,63,043.25
			कुल शुद्व भिन्नता	(–) 2,23,63,043.25

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा दिनांक 31.3.2014 को बैंक शेष ₹2,23,63,043.25 से कम दर्शाया गये हैं।

(iii) एफ.डी.आर (FDR)

चाटड अकाउटैंट द्वारा तुलनपत्र में एफ.डी.आर. की ₹37,59,50,649/– दर्शाया गया है, जबकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार यह ₹37,59,50,647/– बनती है। चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा तुलन–पत्र में उक्त ो ₹2/– कम दर्शाई गई है।

(iv) ऋण एवं अग्रिम

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न ऋण एवं अग्रिम की राशि, जो कि चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा समेकित रूप में ₹4,21,25,940/– दर्शाई गई है, का पूर्ण सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा ऋण एवं अग्रिम की कुछ मदों से सम्बन्धित खाता वही का प्रारम्भ से ही रख–रखाव न किए जाने तथा तदानुसार ही अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इन मदों का सत्यापन करना सम्भव नहीं था। ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित जो अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए हैं, का विवरण निम्नलिखित है :–

{ए} कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिम

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा विभिन्न कर्मचारियों/अन्य संस्था को स्थाई व अस्थाई अग्रिमों की राशि जो चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा वार्षिक लेखें के साथ संलग्न परिशिष्ट–06 में ₹11,47,746/– दर्शाई गई है, कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

{बी} डिपोज़िट कार्य

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा डिपोजिट कार्य से सम्बन्धित लैजर प्रारम्भ से ही तैयार नहीं किए गए हैं, जिस कारण उक्त मद में दर्शाई गई राशि का सत्यापन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन विगत वर्षो के वार्षिक लेखों की विविक्षा टिप्पणियों में भी किया गया है। चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा वार्षिक लेखेां के साथ संलग्न परिशिष्ट–6 में डिपोजिट कार्य की राशि शून्य दर्शाई गई है, जबकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार इस वितिय वर्ष में हि0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड को डिपोजिट कार्य की कुल प्रदत ₹90,67,492/– की है।

{सी} खण्ड विकास अधिकारी को रज्जूमार्ग के निर्माण हेतु प्रदत्त अग्रिम राशि

चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा तुलनपत्र में वर्ष 2013–14 में खण्ड विकास अधिकारी को रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु ₹6,00,000/– प्रदान की गई दर्शाई गई है, जो कि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

{डी} आयकर

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹3,90,79,022/– भी कार्यालय अभिलेखानुसार सही है।

{ई0} टीडीएस

चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा तुलनपत्र में वर्ष 2013–14 में टी.डी.एस. की ₹89,596 दर्शाई गई है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सका।

{एफ} टीडीएस (2012–2013)

चार्टर्ड अकाउटैंट द्वारा तुलनपत्र में वर्ष 2013–14 में टीडीएस की 2012–2013 की ₹78,646/– दर्शाई गई है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वांछित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सकता ।

{जी} प्रतिभूति

तुलनपत्र में दर्शाई गई प्रतिभूति की ₹1,15,930/– का अंकेक्षण द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि दर्शाई गई इस प्रतिभूति से सम्बन्धित पूर्व की तरह इस बार भी कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

{एच} हि0 प्र0 आवास बोर्ड को प्रदान की गई राशि

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹10,00,000/– भी सही है ।

{आई} प्रतिभूति दूरभाष

तुलनपत्र में दर्शाई गई दूरभाष प्रतिभूति की ₹15,000/– अंकेक्षण द्वारा जांच नहीं की जा सकी, क्योंकि दर्शाई गई इस प्रतिभूति से सम्बन्धित इस बार भी कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

{ख} आय व व्यय खाता

(क) आय

यद्यपि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय से सम्बन्धित कोई भी वर्गीकृत लैजर तैयार नही किए गए हैं। फिर भी अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2013–2014 में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा विभिन्न शीर्षकों के अर्न्तगत प्राप्त आय का सत्यापन किया जा चुका है जिस के आधार पर आय व व्यय खाते में अधिकतर मद कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नहीं दर्शाए गए हैं, जिन मदों में भिन्नता पाई गई हैं, वह निम्न हैं :–

क्र0 सं0	मद	आय व व्यय खाते के अनुसार शेष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार शेष	भिन्नता/टिप्पणी
1.	कम्पाऊड फीस	4,72,58,048.00	4,73,43,207.00	{-} 85,159.00
2.	मार्किट फीस	8,33,02,230.00	8,54,41,560.71	{-} 21,39,330.71
3.	फार्म मुल्य व लाईसैंस फीस	75,640.00	3,00,803.00	{-} 2,25,163.00
4.	दुकान किराया	28,89,342.00	28,82,841.00	{+} 6,501.00
5.	विश्राम गृह आय	1,15,710.00	1,18,610.00	{-} 2,900.00
6.	सावधि जमा योजना व बैंक द्वारा दिया गया ब्याज	1,20,65,776.00	3,12,15,390.00	{-} 1,91,49,614.00
7.	पार्किंग फीस व माप तोल से प्राप्त आय	9,10,165.00	9,07,275.00	{+} 2,890.00
8.	अन्य आय	83,678.00	2,87,714.00	{-}2,04,036.00
9.	जुर्माना	श्शून्य	3,000.00	{-}3,000.00
			कुल शुद्ध भिन्नता	{-}2,17,99,811.71

(ख) व्यय

आय व व्यय खाते में अधिकतर मद कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नहीं दर्शाए गए हैं, जिन मदों में भिन्नता पाई गई हैं, वे निम्नलिखित हैं:—

क्रम संख्या	मद	आय व व्यय खाते के अनुसार शेष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार शेष	भिन्नता / टिप्पणी
1.	वेतन	80,86,953.00	75,72,685.00	{+} 5,14,268.00
2.	टेलिफोन व डाक व्यय	98,410.00	93,705.00	{+} 4,705.00
3.	बिजली पानी व्यय	7,18,186.00	7,22,891.00	{-} 4,705.00
4.	प्रिंटिग एण्ड स्टेशनरी व्यय	2,95,771.00	2,95,921.00	{-} 150.00
5.	स्टोर,स्टाक व आर्टिकल	4,25,207.00	50,978.00	{+} 3,74,229.00
6.	25% बोर्ड शेयर	3,26,40,069.50	3,31,96,191.93	{-} 5,56,122.43
7.	अन्य विविध खर्चे	4,62,502.00	4,88,895.00	{-} 26,393.00
			कुल शुद्ध भिन्नता	**{+} 3,05,831.57**